न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—433/2015/225 (2015/00336)

1. छोगा पुत्र स्व0 अमरा, जाति बैरवा, निवासी ग्राम जसवन्तपुरा, तह0 सावर जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. गलकू पुत्री अमरा, जाति बैरवा, निवासी ग्राम जसवन्तपुरा, तहसील सावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

2. हजारी पुत्र अमरा,
3. रामदेव पुत्र अमरा,
   जाति बैरवा, निवासी ग्राम जसवन्तपुरा, तह0 सावर, जिला अजमेर ।
4. हल्का पटवारी हल्का घटियाली, तह0 सावर, जिला अजमेर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सावर, जिला अजमेर ।
6. उप पंजीयक, सावर, जिला अजमेर ।

तरतीबी रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 18.9.2015 अंतर्गत प्रकरण संख्या 119/2014.

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री राकेश अरोड़ा, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 4 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 18.11.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 18.9.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. रेस्पो0 संख्या 1/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात खसरा नंबर 236, 238, 243, 600, 652, 669, 663 वाके ग्राम जसवन्तपुरा, तह0 सावर में स्थित है । आराजियात प्रार्थिया के पिता अमरा पुत्र गिरधारी के नाम बतौर खातेदारी के दर्ज थी । प्रार्थिया के पिता अमरा पुत्र गिरधारी की मृत्यु दिनांक 5.7.1992 को हो चुकी है । प्रार्थिया के पिता की मृत्यु के उपरांत विरासत का नामांतकरण संख्या 106 दिनाक 16.7.1998 को खोला गया जिसमें प्रार्थिया व प्रार्थिया की मां अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम खोला गया था लेकिन बाद में

राजस्व कर्मचारियों ने भूल एवं सहवन से मौजूदा जमाबंदी से प्रार्थिया का नाम विलोपित कर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज दी । प्रार्थिया का वादवर्णित आराजियात में 1/4 हिस्सा निहित है लेकिन अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में हुए गलत अंकन के आधार पर प्रार्थिया के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते है तथा प्रार्थिया को जबरन बेदखल करने पर आमादा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 18.9.2015 द्वारा प्रार्थिया/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर विवादित आराजियात बाबत् अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पो0 संख्या 2 व 3 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय क निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनयी है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय धारा 212 राज0काश्त0अधि0 में प्रावधित प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर ध्यान नही दिया कि एक रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है इसके बावजूद भी अधी0न्याया0 ने अपीलांट को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 का निर्णय नोन स्पीकिंग आदेश है क्योंकि अधी0न्याया0 ने अपना निर्णय विस्तृत पारित नहीं किया है । बहस में आगे कथन किया कि विपक्षी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद मियाद बाहर था तो धारा 212 के तहत अपीलांट को पाबंद नहीं किया जा सकता था । प्रार्थीया/रेस्पो0 संख्या 1 का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है । ऐसी स्थिति में बिना कब्जे के विपक्षी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती थी । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांट को निषेधाज्ञा से पाबंद करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1997 पेज 30, आर0आर0डी0 1994 पेज 326, आर0आर0डी0 2006 पेज 36, आर0आर0डी0 2003 पेज 540 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात के मूल खातेदार अमरा पुत्र गिरधारी थे जिनकी मृत्यु दिनांक 5.7.1992 को हो चुकी है । खातेदार अमरा की मृत्यु उपरांत विरासत नामांतकरण संख्या 106 दिनांक 16.7.1998 को रेस्पो0 संख्या 1/प्रार्थिया व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के नाम खोला गया था तब से रेस्पो0 संख्या 1 अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है लेकिन बाद में राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी आधार के मौजूदा जमाबंदी से प्रार्थिया/रेस्पो0 संख्या 1 का नाम विलोपित कर दिया जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं था । यदि वाद के विचाराधीन रहते अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा विवादित आराजियात का अन्यंत्र हस्तातंरण कर दिया जाता है तो रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद का औचित्य ही समाप्त हो जावेगा । विवादित आराजयात पुश्तैनी है जिसमें रेस्पो0 संख्या 1 का जन्म से हक व अधिकार है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन, विश्लेषण उपरांत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट एवं शेष रेस्पो0 को अस्थायी निषेधाज्ञा

से पाबंद किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात पूर्व में अपीलांट एवं रेस्पो0 के पिता अमरा के नाम दर्ज थी किन्तु खातेदार अमरा की मृत्यु उपरांत विवादित आरायिजात अकेले अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई । विवादित आराजियात बाबत् पक्षकारों के मध्य वाद अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है यदि वाद के विचाराधीन रहते विवादित आराजियात का अन्यंत्र हस्तातंरण, बेचान इत्यादि हो जाता है तो प्रार्थीया/रेस्पो0 संख्या 1 द्वार वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का औचित्य ही समाप्त हो जावेगा। विद्वान अधी0न्याया0 ने वाद के निस्तारण तक विवादित आराजियात बाबत् अपीलांट एवं अन्य प्रतिवादीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.9.2015 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 18.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर